

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 16.10.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित कराने के संबंध में।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना है।

2. इस संबंध में मंत्रालय/विभाग व उनके सम्बद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/बोर्ड/आयोग/आदि के अधीन ऐसे सभी अलग-अलग कार्यालय, जो वर्ष 1976 से अब तक राजभाषा नियम, 1976 के उप नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किए जा चुके हैं, उनको छोड़कर शेष कार्यालयों को भी मानक स्तर पर लाते हुए नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है।

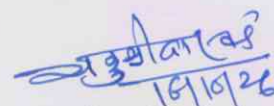
3. इस हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने-अपने अधीन आने वाले सभी कार्यालयों को सूचीबद्ध कर उनकी निगरानी करें। भारत सरकार के केन्द्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी तथा केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आगामी 48वीं बैठक के दौरान अधिसूचित कार्यालयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जानी है जिस हेतु इस जानकारी की आवश्यकता है।

4. अतः अनुरोध है कि आपके मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ ऐसे सभी कार्यालयों की सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

राजभाषा नियम, 1976 के उप नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों का विवरण:-

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/बोर्ड/आयोग/आदि के अधीन कुल कार्यालयों की संख्या	उनमें से अधिसूचित कार्यालयों की संख्या	लंबित कार्यालयों की संख्या
---	---	---

उपर्युक्त सूचना santosh.gupta89@nic.in पर यथाशीघ्र राजभाषा विभाग को उपलब्ध करा दें।



(राजेश श्रीवास्तव)

परामर्शदाता(राजभाषा विभाग)

दूरभाष: 23438129

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)

प्रति:-

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।